कार्यालय प्राचार्य,शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 06/08/2026

सत्र 2025–26 में नवीन वर्ष एवं नवीनीकरण हेतु गावं की बेटी /प्रतिभा किरण योजना आवेदन आवश्यक– सूचना

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन भोपाल के पत्र कमांक 1/211637/2026 भोपाल दिनांक 03/08/2026 के परिपालनार्थ महाविद्यालय की बी.ए.एलएल.बी तथा बी. बी.ए.एलएल.बी की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि गांव की बेटी प्रोत्साहन योजना एवं प्रतिभा किरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाईन नवीन/नवीनकरण के आवेदन हेतु 05/08/2026 से 15/08/2026 तक पुनः पोर्टल प्रारंभ हो गया है। ऑनलाईन नवीन/नवीनीकरण आवेदन कर समस्त दस्तावेज संलग्न कर प्रति महाविद्यालय में जमा करावें। पोर्टल बंद होने के पश्चात् आवेदन जमा नही करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त नही होने की स्थिति में जिम्मेदारी संबंधित छात्राओ की रहेगी अतः पात्र छात्राएं यथाशीघ्र अपने आवेदन करना सुनिश्चित करें। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करें :–

1. पंचायत का प्रमाण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के प्रमाण की फोटोकॉपी।
2. 10 वी एवं 12 वी एवं नवीनीकरण की छात्राओ के लिये सभी सेमेस्टर की अंकसूची आदि।
3. बैंक पास एवं आधार कार्ड की फोटोकॉपी।

नोट :–1. जिन छात्राओ ने ग्रामीण क्षेत्र से 12 की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण की है तथा उन्होने मेधावी या पोस्ट मेट्रिक अथवा अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का आवेदन किया है वे भी गांव की बेटी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। 2. जिन छात्राओ ने शहरी क्षेत्र से 12 की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण की है तथा उनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो, उन्होने मेधावी या पोस्ट मेट्रिक अथवा अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का आवेदन किया है वे भी प्रतिभा किरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है।

3.छात्राएं पहले एम.पी ऑनलाईन से ऑनलाईन आवेदन करे उसके बाद एक फार्म ऑनलाईन डाउनलोड करे जिस पर आप अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर करवा कर उसकी फोटो कॉपी फार्म के साथ संलग्न करे तथा 10 वी , 12 वीं, एवं सभी सेमेस्टर की अंकसूची (नवीनीकरण की छात्राओ के लिये) आय प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी का प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी समग्र आई डी आदि समस्त दस्तावेज संलग्न कर स्वप्रमाणित कर कक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर करवा कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

विशेष नोट :– गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना प्रोत्साहन योजना है। अतः कोई भी छात्रा इस योजना के अतिरिक्त मुख्यमंत्री मेधावी योजना/संबंल योजना/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में से किसी भी एक योजना का पात्र होने पर लाभ ले सकती है।

पोर्टल बंद होने की अंतिम दिनांक 15/08/2026 है।

Solanki
6-8-2026

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर म.प्र.